

फर्द अहकाम


(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रामनिवास बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा नम्बर 81 रान 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-02-2021	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.02.2021 को पेश हो।</p> <p><u>र</u></p> <p>24/02/21 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपप प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी स्वयं का तथा अन्य 03 गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, शामिल पत्रावली किये गये। वहाँ वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वाले निर्णय दि. 03-03-21 को पेश हो।</p> <p><u>र</u></p> <p>03-03-21 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपप। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम रामनिवास पुत्र बीजाराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम निवास पुत्र बीजा दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड व पटवार हल्का वासडी खुर्द के खाता संख्या 50, 62, 260 की जमावन्दी सम्बत 2075-2078 एवं साक्ष्य गवाह- कैलाश पुत्र बीजाराम, घीसाराम पुत्र बीजाराम व गणपत राम पुत्र मांगूराम जाति गुर्जर नि. छापर तह. नीमकाथाना के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रार्थी का सही नाम है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम निवास पुत्र बीजा अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम रामनिवास पुत्र बीजाराम है की पुष्टि राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड व पटवार हल्का वासडी खुर्द के खाता संख्या 50, 62, 260 की जमावन्दी सम्बत 2075-2078 एवं साक्ष्य गवाह- कैलाश पुत्र</p>	<p>रामनिवास बीजाराम कैलाश गणपत</p>  <p><u>र</u></p>

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (नीकर)